पत्रांक भवन/मु0अभि0(द0)यो0विविध 8 48/12 ..... 01 (81) /पटना, दिनांक 29.5.14

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

(424)

गंगा कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:- ₹ 450.32 करोड़ (चार सौ पचास करोड़ बत्तीस लाख)रूपये की लागत पर मॉडल विधायक आवासन भवन परियोजना के अंतर्गत 321 डुप्लेक्स बंगलों एवं दो हॉस्टल के निर्माण एवं कम्प्यूनिटी सुविधाओं के विकास से संबंधित योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु मुख्य अभियंता(निरूपण), भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 976(नि0)अनु0 दिनांक 26.12.2013 द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर ₹ 450.32 करोड़ (चार सौ पचास करोड़ बत्तीस लाख)रूपये की लागत पर पटना में विधायक आवासन भवन परियोजना के अंतर्गत 321 डुप्लेक्स बंगलों एवं दो हॉस्टल के निर्माण एवं कम्प्यूनिटी सुविधाओं के विकास से संबंधित योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

2. इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि मुख्य शीर्ष 4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायसी भवन, लधु शीर्ष-700-अन्य आवास मांग संख्या-03 उप शीर्ष-0101-अन्य आवास विपत्र कोड-पी0 4216017000101 मतदेय अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2,भ0नि0वि0, पटना होंगे।
5. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।
6. प्रस्तुत योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा (मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 04.03.2014 मद संख्या-43 के रूप में संचिका संख्या-भवन/मु0अ0(द0)यो0विविध-8-48/12 के पृ0-57/टि0 पर दिनांक 04.03.2014 को प्रदान की गयी है।
7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 दिनांक-03.01.2008 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
8. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-भवन/मु0अ0(द0)यो0विविध-8-48/12 के पृष्ठ-68/टि. पर प्राप्त है।
9. वित्त विभागीय परिपत्र सं0 7355 वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. इस कार्य के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-226(भ) दिनांक 30.12.2011 से मूल प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विश्वासभाजन,
(गंगा कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक भवन/मु0अभि0(द0)यो0विविध-8-48/12 01 (81) पटना, दिनांक- 29.5.14

प्रतिलिपि वित्त विभाग(बजट शाखा) एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक भवन/मु0अभि0(द0)यो0विविध-8-48/12 01 (81) पटना, दिनांक- 29.5.14

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार/निरूपण उपभाग/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना/उप निदेशक 1 एवं 2 अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0-2, पटना/बजट पदाधिकारी/प्रशासी पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

28.5.14

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संलेख

गोपनीय

विषयः- ₹ 450.32 करोड़ (चार सौ पचास करोड़ बत्तीस लाख रू0) की लागत पर मॉडल विधायक आवासन भवन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

विधायक आवासन योजना के लिये विभागीय पत्रांक 270(भ) दिनांक 30.12.2011 से स्थूल प्राक्कलन के आधार पर ₹ 307.73 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। **(छायाप्रति संलग्न (परिशिष्ट-क)।**

इसके अन्तर्गत बीरचन्द पटेल पथ, दारोगा प्रसाद राय पथ एवं आर ब्लॉक क्षेत्र अन्तर्गत पुराने भवनों को तोड़कर नये भवनों का निर्माण प्रस्तावित था।

2. स्थल उपलब्ध कराने हेतु विधान सभा एवं उच्च न्यायालय पूल के आवासों को खाली कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई विभाग द्वारा किया गया। पुराने भवनों को तोड़कर वहाँ से हटाने हेतु नीलामी की कार्रवाई भी सम्पन्न किया गया।

स्थल उपलब्धता की प्रत्याशा में मुख्य अभियंता(दक्षिण) से प्राप्त ₹ 369.24784 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (वर्ष, 2012 की अनूसूचित दर) के आधार पर विधायक आवास निर्माण योजना हेतु परिमाण विपत्र ₹ 366.3811146 करोड़ के लिये निविदा की कार्रवाई की गई।

नवम्बर, 2013 तक दस प्रतिशत से भी कम आवास ही खाली हो पाये जबकि निविदा की शर्तो के अनुसार कार्य प्रारम्भ हेतु कम से कम 50% स्थल उपलब्ध कराना आवश्यक था। दिनांक 11.08.13 से विभाग द्वारा नया अनुसूचित दर भी लागू किया गया।

इस आलोक में विभाग द्वारा वर्त्तमान निविदा की रद्द कर नये दर पर पुर्ननिविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

3. वर्ष 2013 के नये अनुसूचित दर एवं बाजार दर पर विश्लेषित गैर अनुसूचित दर के आधार पर परामर्शी द्वारा कुल ₹ 450.32 करोड़ मात्र का प्राक्कलन समर्पित किया गया। इसमें एस0बी0डी0 के आलोक में 15% प्राईस एस्केलेशन का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के लागत से संबंधित तुलनात्मक विवरणी संलग्न है **(परिशिष्ट-ख)**

प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता(निरूपण), भवन निर्माण विभाग द्वारा ₹ 450.00 करोड़ का तकनीकी अनुमोदन पत्रांक 976(नि0)अनु0 दिनांक 26.12.2013 द्वारा दिया गया है। छायाप्रति संलग्न **(परिशिष्ट-ग)**

4. उपरोक्त विन्दुओं के आलोक में परामर्शी द्वारा समर्पित संशोधित प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर आर0 ब्लॉक में 18 एकड़ के भूखंड पर विधान परिषद के मान्नीय सदस्यों के लिए 75 अद्द तथा दरोगा राय पथ एवं वीरचन्द पटेल मार्ग पर 43 एकड़ के भूखंड पर विधान सभा के मान्नीय सदस्यों के लिए 246 अद्द यानी कुल 321 अद्द डुप्लेक्स बंगलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें प्रति बँगलों बिल्ट-अप एरिया 343.21 वर्ग मीटर होगा। इसके अलावा दो हॉस्टल 50 शैय्या एवं 30 शैय्या का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित

है। साथ ही प्रस्ताव में कुल उपलब्ध 61 एकड़ में विधायक आवासन के अतिरिक्त अन्य सामुदायिक सुविधा यथा कम्यूनिटि सेन्टर, अस्पताल, शॉपिंग सेन्टर, किन्डर गार्डेन विद्यालय, पुलिस पोस्ट, सर्विस ब्लौक, क्लब एवं परिसर का विकास भी सन्निहित है।

5. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 128(यो0प्रा0) दिनांक 25.02.2014 द्वारा ₹ 450.32 करोड़ की लागत पर मॉडल विधायक आवासन परियोजना के अन्तर्गत 321 अद्द डुप्लेक्स बंगलों तथा दो हॉस्टल के निर्माण एवं कम्पयूनिटी सुविधा के विकास हेतु प्राधिकृत समिति द्वारा पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।छायाप्रति संलग्न (परिशिष्ट-घ)।

6. इस योजना का व्यय मुख्य शीर्ष-4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायसी भवन, लधु शीर्ष-700-अन्य आवास मांग संख्या-03 उप शीर्ष 0101 अन्य आवास विपत्र कोड-पी0 4216017000101 के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

(6.1) इस योजना के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 3.00 करोड़ एवं 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमश: ₹ 247.32 करोड़ एवं ₹ 200.00 करोड़ के व्यय प्रस्तावित है।

7. इस योजना के लिए राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना से की जायेगी।

8. उपरोक्त के आलोक में प्रस्ताव है कि ₹ 450.32 करोड़ (चार सौ पचास करोड़ बत्तीस लाख) की लागत पर मॉडल विधायक आवासन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाय।

9. उपर्युक्त संलेख प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. उपर्युक्त प्रस्ताव एवं संलेख पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11. उपर्युक्त कंडिका-8 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

28/2

(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-भवन/मु0अ0(द0)यो0विविध-8-48/12-2426(प)अ0 पटना, दिनांक- 28-02-2014

प्रतिलिपि संलेख की 45 अतिरिक्त प्रतियों (परिशिष्ट सहित) एवं चेक लिस्ट के साथ मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में रखने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का प्रेषित।

28/2

(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

H TYPE 2014 SANTOSHMALA Housing Colo Sec-4m

भवन निर्माण विभाग

.....

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–2426 दिनांक–28.02.2014 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–04.03.2014 में मद संख्या–43 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

43. ₹ 450.32 करोड़ (चार सौ पचास करोड़ बत्तीस लाख रू०) की लागत पर मॉडल विधायक आवासन भवन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

43. स्वीकृत।

04/3/14

(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
04/3/14

5/3/14

1378 ... 3-14

भु.अ.(6)

H.O(Estt(C))
5/3/14

7-5/03

Estt(HQ) 6/3

6/3/14

मं.प.परिषद से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृतादेश प्राप्त पर निर्गत करने की कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत होती है।

प्रबंध
07.3.14

प्रo6/610

उपरोक्त टिप्पणी।
अनुरोध है।
संचिका उपलब्ध है।

6/3/14

10/3/14

सं 1308/Estt
10/3/14

Estt(HQ)

6/3/14